न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—274/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/274)

1. श्री अलाचीन पुत्र श्री लाला जाति मेहरात
2. श्री अलानूर पुत्र श्री सुबान, जाति मेहरात
3. श्री ताज मोहम्मद पुत्र श्री रहीमा, जाति मेहरात
4. श्रीमती बिस्मिल्ला पत्नी श्री सुबान, जाति मेहरात
5. श्रीमती आमना पत्नी श्री मंगला, जाति मेहरात
6. श्री हमीद पुत्र श्री मंगला, जाति मेहरात
7. श्री मुश्ताक पुत्र श्री सुबान, जाति मेहरात
8. शहाबुदीन पुत्र श्री रहीमा, जाति मेहरात
9. सत्तार पुत्र श्री अहमद, जाति मेहरात
10. सुलेमान पुत्र श्री अजमाल, जाति मेहरात
11. साबिर पुत्र श्री सुबान, जाति मेहरात

समस्त निवासीगण ग्राम भीमपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्री मुकना पुत्र न्यामा जाति मेहरात, निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

3. चकला पुत्री श्री अजमाल जाति मेहरात
4. झमकू पुत्री श्री सुबान, जाति मेहरात
5. नाथी पुत्री श्री अजमाल, जाति मेहरात
6. फरीदा पुत्री श्री सुबान, जाति मेहरात
7. हुसैन पुत्र श्री मंगला, जाति मेहरात
8. हबीब पुत्र श्री मंगला, जाति मेहरात
9. मुमताज पुत्री श्री अजमाल, जाति मेहरात
10. मस्तान पुत्री श्री अजमाल, जाति मेहरात
11. महफूल पुत्री श्री रहीमा, जाति मेहरात
12. रमजान पुत्र श्री अहमद, जाति मेहरात
13. रेशमा पुत्री श्री सुबान, जाति मेहरात
14. शांति पुत्री श्री सुबान, जाति मेहरात
15. सद्दीक पुत्र श्री सुबान, जाति मेहरात
16. सन्तोष पुत्र श्री सुबान, जाति मेहरात

समस्त निवासीगण—ग्राम भीमपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

17. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा मांगलियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , नसीराबाद विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.09.2022 राजस्व वाद संख्या 03/2022

उपस्थितः–
1. श्री, एन०के०जैन, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री, अजीत सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 से 10, 12 से 17 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 17.04.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 03/2022 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदनकर्ता/रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम भिखमपुरा हाल ख०न० 1782 (20 मीटर लम्बा 6 मीटर चौडा) 120 वर्ग मीटर हाल खसरा नम्बर 1783 मेंसे (16 मीटर लम्बा, 6 मीटर चौडा) 96 वर्गमीटर रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 03/2022 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 3 से 10, 11 से 17 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि आवेदनकर्ता/रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1742, 1743, 1744 की भूमि पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1412, 1783, 1782 व 1781 में से रास्ता बाबत आवेदन पर प्रस्तुत किया गया जबकि वर्तमान खसरा नम्बर 1412 नाला है, इसके पश्चात अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेंट संख्या 3 से 16 की खातेदारी की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1781 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 1782 रकबा 0.08 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1783 रकबा 0.07 है0 भूमि है कि जिसमें से होकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रास्ता बाबत आवेदन पर प्रस्तुत किया गया, प्रथम तो वर्तमान खसरा नम्बर 1412 जो नाला है में से आवागमन का रास्ता दिए जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है, नाले के पश्चात वर्तमान खसरा नम्बर 1781, 1782 व 1783 जो कि छोटे–छोटे टूकडे है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि के प्रतिकूल अपीलार्थीगण के उपरोक्त खेत खसरा नम्बर 1781, 1782 व 1783 में से 20 मीटर लम्बा व 06 मीटर चौडा रास्ता दिए जाने के आदेश पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

किए गए कि जिससे खसरा नम्बर 1781, 1782, 1783 कृषि योग्य ही नहीं रहेगी जबकि आवेदनकर्तागण/रेस्पोडेंट सख्या 01 के समक्ष कृषि खातेदारी की भूमि पर विधिक एवं सुविधा अनुसार तथा लघु रास्ता जो कि आवेदनकर्ता/रेस्पोडेंट संख्या 01 के समक्ष कृषि खातेदारी की भूमि पर विधिक एवं सुविधा अनुसार तथा लघु रास्ता जो कि आवेदनकर्ता/रेस्पोडेंट संख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 1742, 1743 व 1744 की भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता जो कि वर्तमान खसरा नम्बर 1726 व 1671 जो कि रिकार्डेड रास्ता ही है से होकर वर्तमान खसरा नम्बर 1666/2852 वह भी सिवायचक है तथा खसरा नम्बर 1741 भी सिवायचक भूमि ही है, इसी रास्ते से आवेदनकर्ता/रेस्पोडेंट संख्या 01 उसकी खातेदारी की भूमि एवं चाह खसरा नम्बर 1745 कि जिसमें आवेदनकर्ता/रेस्पोडेंट संख्या 01 के साथ हिस्सेदार है, आवागमन का रास्ता चला आया है, इस प्रकार आवेदनकर्ता/रेस्पोडेंट संख्या 01 के पास उसकी खातेदारी की भूमि व चाह पर आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता चला आया है, ऐसी अवस्था में आवागमन का रास्ता होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रास्ता बाबत संबंधित हल्का गिरदावर से भी मौका रिपोर्ट तलब की गई कि जिसमें भी हल्का गिरदावर के द्वारा मौका जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि आवेदनकर्ता/रेस्पोडेंट संख्या 01 की खातेदारी की भूमि पर पूर्व से ही रास्ता जो कि खसरा संख्या 1726 व 1671 रेकार्डेड रास्ता है से होता हुआ खसरा नम्बर 1666/2852 सिवायचक भूमि से होता हुआ खसरा नम्बर 1741 सिवायचक भूमि रास्ता आवगमन है गिरदावर हल्का के द्वारा भी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इस जांच रिपोर्ट के विरूद्ध आवेदनकर्ता/रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा कोई आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं की गई, इस प्रकार गिरदावर हल्का की जांच रिपोर्ट से भी यह प्रमाणित है कि आवेदनकर्ता/रेस्पोडेंट संख्या 01 की खातेदारी की भूमि पर पूर्व से ही रास्ता चला आया है, ऐसी अवस्था में धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत यदि विकल्प में कोई रास्ता नहीं हो उसी स्थिति में रास्ता दिए जाने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया कि मौका निरीक्षण की रिपोर्ट दिनांक 06.09.2021 के अनुसार यह दर्शायी कि आवेदनकर्तागण की खातेदारी की भूमि से पहले खसरा नम्बर 1412 जो कि नाला है रिपोर्ट में दर्शाया गया है, जबकि नाले की भूमि में से रास्ता दिए जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है अपीलाधीन आदेश में भी अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा यह भी दर्शाया कि नाले की भूमि में से रास्ता दिए जाने का कोंई प्रावधान ही नहीं है। जबकि नाला खसरा नम्बर 1412 के पश्चात अपीलार्थीगण, प्रफोर्मा रेस्पोडेंट संख्या 03 से 16 की खातेदारी की भूमि वह भी लघु लघु छोटे छोटे टूकडे है, समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलार्थीगण की भूमि खेत खसरा नम्बर 1781, 1782, एवं 1783 में से रास्ता दिए जाने बाबत आदेश पारित यिका जबकि खातेदारी की भूमि से पहले खसरा नम्बर 1412 जों कि नाला आज भी मौके पर विद्यमान है, ऐसी अवस्था में आदेश पारित किया गया है निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 03/2022 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2022 को निरस्त फरमाए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि ग्राम भीमपुरा के खसरा नम्बर 1742 रकबा 0.14, 1743 रकबा 0.14, 1744 रकबा 0.20, 1745 रकबा 0.20 की आराजी अप्रार्थी मुकना अप्रार्थी के भाई सोहन व अलारखा पुत्रगण न्यामा की खातेदारी हे। अप्रार्थी के भाई सोहन व अलारखा की मृत्यु हो गई है जिसका वारिस अप्रार्थी होने से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज है। हाल खसरा नम्बर की खातेदारी की है। हाल खसरा नम्बर 1746 चाह का संयुक्त खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी अपनी उपरोक्त आरजी में मुख्य रास्ता हाल खसरा नम्बर 2082 से होकर हाल खसरा नम्बर 1781 रकबा 0.10, 1782 रकबा 0.08, 1783 रकबा 0.07 में से आवागमन करते है। जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं हे। सबसे सूक्ष्मतम रास्ता खसरा नम्बर 1783, 1782 व 1781 की मेड पर खसरा नम्बर 1782 तथा 1781 के के लगते हुए खसरा नम्बर 1745 तक प्रदान किया गया है उक्त रास्ते के अतिरिक्त सूक्ष्मतम अन्य कोई भी मार्ग रिकार्ड पर प्रस्तुत नक्शें के अनुसार भी दर्शित नही होता है उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग सुविधाजनक रूप से किया जा सकता है तथा नाला खसरा नम्बर 1412 का भी थोडा ही हिस्सा पार करना होता है जिसे बाधित न कर खेत खसरा नम्बर 1781, 1782 व 1783 की मेड जो रेस्पो0 संख्या 01 की सहखातेदारी के खेत 1745 के लगते हुए अवस्थित है सबसे सूक्ष्म रास्ता है अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट देखकर उभयपक्ष को जवाब/सुवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किया है अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि रेस्पो0 संख्या 1 की सहखातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1742, 1743, 1744 व 1745 पर पहुचने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिकार्ड पर प्रस्तुत दिनांकित 06.09.2021 मौका रिपोर्ट जो स्वयं उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, भूअभिलेख निरिक्षक एवं हल्का पटवारी के साथ जाकर बनायी गइ एवं भूअभिलेख निरिक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट 24.05.2022 दोनो का अवलोकन किया गया जिनके अनुसार दिये गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोइ रिकार्डेड रास्ता विद्यमान नहीं है। सबसे सूक्ष्मतम रास्ता खसरा नम्बर 1783, 1782 व 1781 की मेड पर खसरा नम्बर 1782 तथा 1781 के के लगते हुए खसरा नम्बर 1745 तक प्रदान किया गया है उक्त रास्ते के अतिरिक्त सूक्ष्मतम अन्य कोई भी मार्ग रिकार्ड पर प्रस्तुत नक्शें के अनुसार भी दर्शित नही होता है उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग सुविधाजनक रूप से किया जा सकता है तथा नाला खसरा नम्बर 1412 का भी थोडा ही हिस्सा पार करना होता है जिसे बाधित न कर खेत खसरा नम्बर 1781, 1782 व 1783 की मेड जो रेस्पो0 संख्या 01 की सहखातेदारी के खेत 1745 के लगते हुए अवस्थित है सबसे सूक्ष्म रास्ता है। जिसमें कम से कम खातेदारी के जोत नष्ट होते है जबकि वर्तमान अपीलांट के कथनानुसार खसरा नम्बर 1726 व 1671 तथा 1666/2852 से यदि रास्ता दिया जाता है तो वह अत्यधिक लम्बा रास्ता है एवं खातेदारान के अत्यधिक जोत नष्ट होते है तथा रेस्पो0 संख्या 01 को नाला भूमि खसरा नम्बर 1412 का बहुत अधिक लम्बा भाग पार करना होता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

जिस पर मौका रिपोर्ट के अनुसार लगातार पानी भरा रहता है जिससे उक्त रास्ता प्रदान किया जाना कतई सम्भव नही है। स्वयं अपीलांटस भी खसरा नम्बर 1781, 1782, 1783 की मेड पर होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त रास्ते से अन्य कोई सूक्ष्म रास्ता बता पाने में असमर्थ रहे तथा ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) के संदर्भ अधीनस्थ न्यायालय को केवल चार बिन्दुओ का ही अवलोकन किया जाना चाहिए यथा रास्ते की आत्यंतिक आवश्यक्ता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव, रास्ता मात्र सुविधा के लिए न हो तथा रास्ता सूक्ष्मतम हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित नियम 69 की पालना सुनिश्चित की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन सभी बिन्दुओं का पूर्णतया न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग कर एवं कानूनी प्रावधानों को नजर में रखते हुए निर्णय पारित किया जाना प्रकट होता है तथा रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य तथा उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि एवं अनियमितता दृष्टिगोचर नही होती है अतःउपरोक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यक्ता नही हैं अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य पायी जाती है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 03/2022 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2022 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 17.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner